जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गतजिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM)समिति दिनांक 28.08.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा0सं0 95/छिहत्तर-1-2020-20स्वजल/2010 टी0सी0-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38-5-2010-20स्वजल/2010 (टी0सी0-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** समिति की बैठक **दिनांक 28.08.2023** को जिलाधिकारी सहारनपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1-मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर	(सदस्य)
2-जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
3-प्रभागीय निदेशक एवं वनीकी प्रभाग सहारनपुर अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।	(सदस्य)
4-जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
5-जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
6-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
7-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर।	(सदस्य)
8-अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर सहारनपुर।	(सदस्य)
9-अधिशासी अभियन्ता,वाटर रिर्सोसेज/सिंचाई सहारनपुर।	(सदस्य)
10-अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, सहारनपुर।	सदस्य सचिव
11-श्री प्रमोद मौर्य, पी0एम0 मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0)	फर्म प्रतिनिधि
12-श्री भंवर सिंह, पी0एम0, मै0 गायत्री, रैमकी जे0वी0 सहारनपुर	फर्म प्रतिनिधि
13-श्री चन्द्र शेखर, जी0एम0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 सहारनपुर	फर्म प्रतिनिधि

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव, खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया है किजल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फेज-2 हेतु मैसर्स गायत्री रैमकी (जे0वी0) को चयनित किया गया है तथा फेज-3 हेतु फर्म मैसर्स एन0के0जी0 प्राईमस (जे0वी0) को चयनित किया गया है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत कुल 1105 नग राजस्व ग्राम आवंटित किये जा चुके है जिनमें फर्म मैसर्स गायत्री रैमकी (जे0वी0) को 571 नग राजस्व ग्राम एवं फर्म मैसर्स एन0के0जी0 प्राईमस (जे0वी0) को 534 नग राजस्व ग्राम आवंटित है।वर्तमान तक 1105 नग राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 706 नग डी0पी0आर0 विरचित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से संस्तुति/स्वीकृति उपरांत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 706 नग डी0पी0आर0 की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC)से स्वीकृत की जा चुकी है। 706 नग योजनाओं के सापेक्ष 699 नग (1098 राजस्व ग्राम) योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये 27 नग कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। शेष 07 नग योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा हस्ताक्षर नही किये जाने के फलस्वरूप लम्बित है, जिसके सम्बन्ध में पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त 07 नग योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

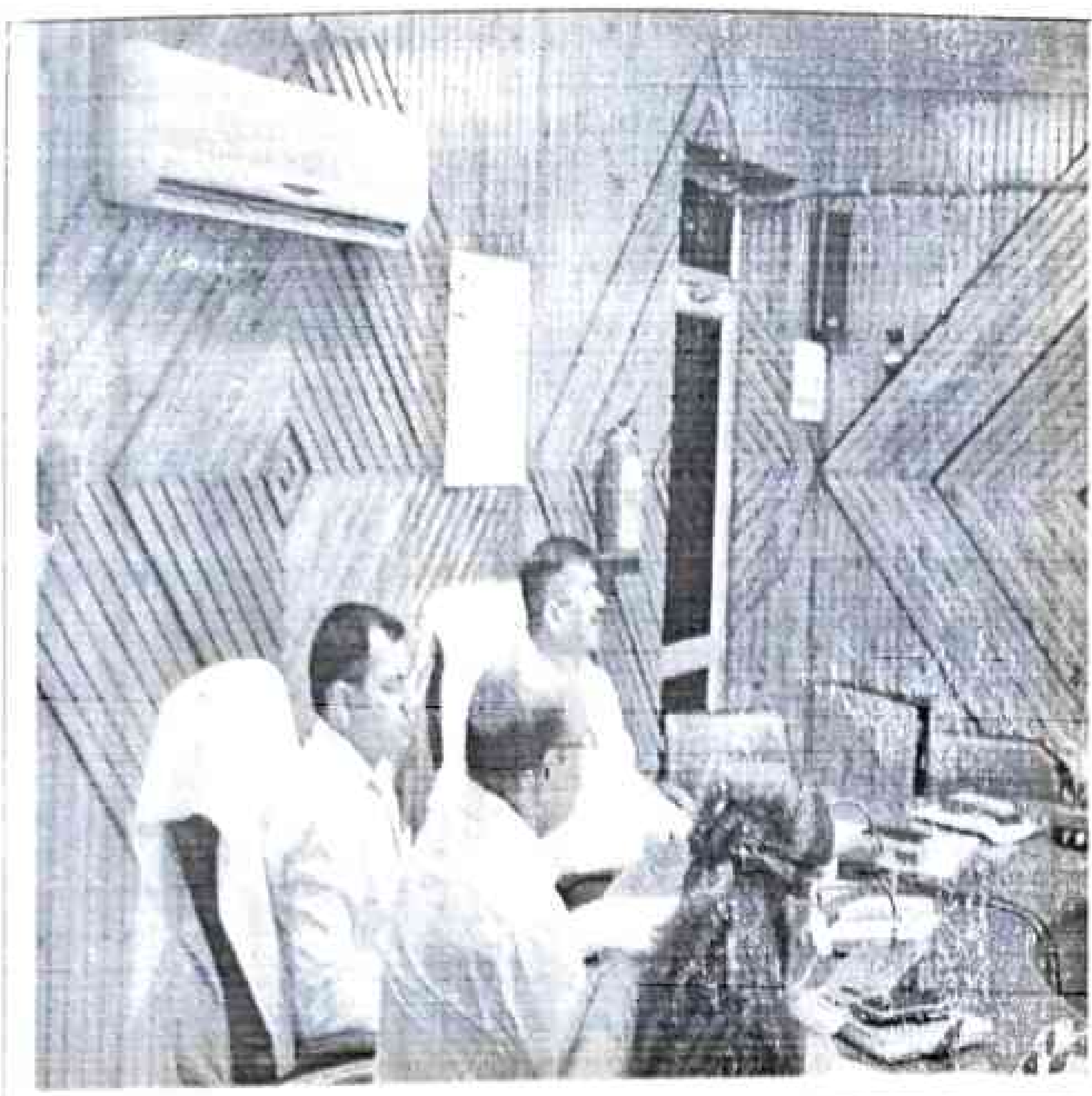

699 नग योजनाओं के कवर अनुबन्ध गठन के सापेक्ष 546 (820 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं में नलकूप बोरिंग का कार्य प्रारम्भ करते हुये अन्य कार्य यथा गृह संयोजन, वितरण प्रणाली बिछाना, पम्प हाउस बाउन्ड्रीवॉल के कार्य, अवर जलाशय एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्य कराये जा रहे है जिसकी प्रगति का विवरण फर्म वार निम्नानुसार है :–

<u>मैसर्स वुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0</u>

फेज–2 के अन्तर्गत मैसर्स गायत्री रैमकी (जे0वी0) को आवंटित 127 नग (184 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं के सापेक्ष 127 नग (184 नग राजस्व ग्राम) के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म की सबलेट एजेन्सी मैसर्स वुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा 112 नग (151 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं में निर्माण कार्य करायें जा रहे है। फर्म द्वारा 110 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 1016 कि0मी0 पाईप लाईन के सापेक्ष 591 कि0मी0 पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 91 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 96 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे है। फर्म द्वारा 90 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये है जिसमें से 07 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 03 योजनाओं में पी0सी0सी0 का कार्य, 04 नग योजनाओं में फाउन्डेशन का कार्य, 07 नग योजनाओं में स्टेजिंग का कार्य, 02 योजना में Bottom Dome का कार्य तथा 67 नग योजनाओं में खुदाई का कार्य किया गया है। फर्म द्वारा 55 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 47 नग योजनाओं मेंटैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 04 नग योजनाओं में टैस्टिंग का कार्य प्रगति में है। 13 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम सेतथा 34 नग योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है परन्तु प्रतिदिन जलापूर्ति नही की जा रही है। 70 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का पूर्ण कर 31 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली के कार्य तथा 67 नग योजनाओं गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर 33 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 70000 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 48417 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये है।

अवगत कराया गया कि कार्यो की प्रगति बढाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) स्तर पर निरन्तर फर्म को पत्राचार किया जा रहा है परन्तु अभी भी अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्यो में प्रगति बढाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है।127 नग योजनाओं में से वर्तमान में 03 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही करायी जा रही है। जिलाधिकारी महोदय, अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से करते हुये पेयजल आपूर्ति करने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 112 नग योजनाये जिनमें कार्य प्रारम्भ किया गया है उनमें से मात्र 101 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य तथा 100 नग योजनाओं में गृह संयोजन के कार्यो की प्रगति असंतोषजनक है एवं 23 नग योजनाओं में अभी भी पाईप लाईन का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नही किया गया है। इसी प्रकार 24 नग योजनाओं में गृह संयोजन, 96 नग योजनाओं में सोलर, 34 नग योजनाओं में अवर जलाशय, 62 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ नही किये गये है। फर्म द्वारा फेज–2 के कार्यो को लगभग 01 वर्ष हो चुका है परन्तु फर्म द्वारा अभी तक योजनाओं को पूर्ण करने की गति अत्यन्त धीमी एवं असंतोषजनक है जिसके लिये जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा रोष प्रकट करते हुये फर्म को नोटिस जारी करने एवं वर्तमान में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से लगायी गयी 01 प्रतिशत LD के अतिरिक्त 01 प्रतिशत LD बढाने हेतु निर्देशित किया गया । इसके अतिरिक्त शेष 12 नग योजनाओं जिनमें विवाद का निस्तारण किया जा चुका है उनमें शीघ्र अतिशीघ्र बोरिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 वुडहिल इन्फ्रा0 लि0)

मैसर्स बाबा जी0ए0 इन्फ्रा (जे0वी0)

फेज–3 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स गायत्री रैमकी (जे0वी0) को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा Descope करने के उपरांत 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) योजनायें मैसर्स बाबा जी0ए0 इन्फ्रा (जे0वी0) को आवंटित की गयी है। आवंटित 251 नग (387 नग राजस्व ग्राम) योजनाओं के सापेक्ष 247 नग (360 नग राजस्व ग्राम) के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म द्वारा 180 नगयोजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे है। फर्म द्वारा 156 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 2289 कि0मी0 पाईप लाईन के सापेक्ष 769 कि0मी0 पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 102 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 81 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे है। फर्म द्वारा 102 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये है जिसमें से शून्य नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 36 योजनाओं में पी0सी0सी0 का कार्य, 21 नग योजनाओं में फाउन्डेशन का कार्य, 06 नग योजनाओं में स्टेजिंग का कार्य, शून्य योजना में Bottom Domeका कार्य तथा 43 नग योजनाओं में खुदाई का कार्य किया गया है; फर्म द्वारा 35 नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 11 नग योजनाओं मेंटैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 01 नग योजनाओं में सोलर के माध्यम सेतथा 10 नग योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है परन्तु प्रतिदिन जलापूर्ति नही की जा रही है। 46 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का पूर्ण कर 106 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली के कार्य तथा 21 नग योजनाओं गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर 110 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 139000 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 11162 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये है।

फर्म द्वारा 46 नग योजनाओं में पाईप लाईन तथा 21 नग योजनाओं में कार्य पूर्ण कर लिया गया है,परन्तु मात्र 11 नग योजनाओं में टेस्टिंग का कार्य करते हुये क्रियाशील गृह संयोजन उपलब्ध कराये गये है। गृह संयोजन, अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्यो में प्रगति बढाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है। 251 नग योजनाओं में से वर्तमान में 18 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही तहसील एवं जल निगम स्टॉफ द्वारा करायी जा रही है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से करते हुये पेयजल आपूर्ति करने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 180 नग योजनाये जिनमें कार्य प्रारम्भ किया गया है उनमें से मात्र 152 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य तथा 131 नग योजनाओं में गृह संयोजन के कार्यो की प्रगति असंतोषजनक है एवं 53 नग योजनाओं में अभी भी पाईप लाईन का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नही किया गया है। इसी प्रकार 102 नग योजनाओं में गृह संयोजन, 212 नग योजनाओं में सोलर, 131 नग योजनाओं में अवर जलाशय, 152 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ नही किये गये है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष प्रकट करते हुये फर्म को नोटिस जारी करने एवं 01 प्रतिशत LDलगवाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त शेष 53 नग योजनाओं जिनमें विवाद का निस्तारण किया जा चुका है उनमें शीघ्र अतिशीघ्र बोरिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम / मै0 बाबा जी0ए0 इन्फा0 जे0वी।)

मैसर्स एन0के0जी0 प्राईमस (जे0वी0)

फेज–3 के अन्तर्गत मैसर्स एन0के0जी0 प्राईमस (जे0वी0) को आवंटित 328 नगयोजनाओं के सापेक्ष 324 नगयोजनाओं के कवर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये फर्म द्वारा 248 नगयोजनाओं में निर्माण कार्य कराये जा रहे है। फर्म द्वारा 226 नग योजनाओं में बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 2672 कि0मी0 पाईप लाईन के सापेक्ष 920 कि0मी0 पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 129 नग योजनाओं में पम्प हाउस निर्माण कार्य एवं 134 नग योजनाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जा रहे है। फर्म द्वारा 165 नग योजनाओं में अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ किये गये है जिसमें से 02 नग अवर जलाशय के कार्य पूर्ण किये जा चुके है, 45 योजनाओं में पी0सी0सी0 का कार्य, 03 नग योजनाओं में फाउन्डेशन का कार्य, 15 नग योजनाओं में स्टेजिंग का कार्य, 02 योजना में Bottom Domeका कार्य तथा 95 नग योजनाओं में खुदाई का कार्य किया गया है। फर्म द्वारा 75नग योजनाओं में पम्प लोअर कर 60 नग योजनाओं मेंटैस्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 07नग योजनाओं में सोलर के माध्यम सेतथा 53नग योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से जलापूर्ति की गयी है परन्तु प्रतिदिन जलापूर्ति नही की जा रही है। 75 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली का पूर्ण कर 87 नग योजनाओं में वितरण प्रणाली के कार्य तथा 66 नग योजनाओं गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर 82 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 160761 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 85422 नग गृह संयोजन क्रियाशील किये गये है।

फर्म द्वारा 75 नग योजनाओं में पाईप लाईन तथा 66 नग योजनाओं में गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु मात्र 60 नग योजनाओं में टेस्टिंग का कार्य करते हुये क्रियाशील गृह संयोजन उपलब्ध कराये गये है। पाईप लाईन, गृह संयोजन, अवर जलाशय, सोलर प्लॉट एवं सडक पुर्नस्थापना के कार्यो में प्रगति बढाने हेतु मैनपावर की आवश्यकता है।328 नग योजनाओं में से वर्तमान में 27 नग योजनाओं में भूमि विवाद निस्तारण की कार्यवाही तहसील एवं जल निगम स्टॉफ द्वारा करायी जा रही है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिन योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उनमें गृह संयोजन का कार्य तीव्रता से करते हुये पेयजल आपूर्ति करने के साथ क्रियाशील गृह संयोजन बढाने हेतु निर्देशित किया गया है। फर्म की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि 248 नग योजनाये जिनमें कार्य प्रारम्भ किया गया है उनमें से मात्र 162 नग योजनाओं में पाईप लाईन का कार्य तथा 148 नग योजनाओं में गृह संयोजन के कार्यो की प्रगति असंतोषजनक है एवं 86 नग योजनाओं में अभी भी पाईप लाईन का कार्य फर्म द्वारा प्रारम्भ नही किया गया है। इसी प्रकार 100 नग योजनाओंमें गृह संयोजन, 220 नग योजनाओं में सोलर, 83 नग योजनाओं में अवर जलाशय, 118 नग योजनाओं में सडक पुर्नस्थापना के कार्य प्रारम्भ नही किये गये है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष प्रकट करते हुये फर्म को नोटिस

जारी करने एवं वर्तमान में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से लगायी गयी 04 प्रतिशत LD के अतिरिक्त 01 प्रतिशत LD बढानेहेतु निर्देशित किया गया । इसके अतिरिक्त शेष 53 नग योजनाओं जिनमें विवाद का निस्तारण किया जा चुका है उनमें शीघ्र अतिशीघ्र बोरिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै0 एन0के0जी0प्राइमस जे0वी0।)

फेज–2 एवं फेज–3 के अन्तर्गत गठित कवर अनुबन्धों के कार्य प्रारम्भ एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	फेज	फर्म का नाम	कवर अनुबन्ध संख्या	कवर अनुबन्ध में सम्मिलित योजनाओं की संख्या	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	फेज–2	मै0 गायत्री रैमकी (जे0वी)	280/ED/2021-22	56	02.03.2022	01.09.2023
			300/ED/2021-22	15	06.04.2022	05.10.2023
			44/ED/Phase-2/2022-23/III	21	05.08.2022	04.02.2024
			138/ED/Phase-2/ 2022-23/IV	05	10.10.2022	09.04.2024
			141/ED/Phase-2/ 2022-23/V	26	13.10.2022	12.02.2024
			813/ED/Phase-2/ 2022-23/VII	04	11.05.2023	10.11.2024
			कुल योग	127		
	फेज–3	मै0एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी)	82/ED/Phase-3/ 2022-23	32	03.09.2022	02.03.2024
			132/ED/Phase-3/ 2022-23/II	32	10.10.2022	09.04.2024
			175/ED/Phase-3/ 2022-23/III	03	05.11.2022	04.05.2024
			230/ED/Phase-3/ 2022-23/IV	15	03.12.2022	02.06.2024
			254/ED/Phase-3/ 2022-23/V	07	21.12.2022	20.06.2024
			258/ED/Phase-3/ 2022-23/VI	18	23.12.2022	22.06.2024
			345/ED/Phase-3/ 2022-23/VII	44	27.01.2023	26.07.2024
			381/ED/Phase-3/ 2022-23/VIII	34	06.02.2023	05.08.2024
			489/ED/Phase-3/ 2022-23/IX	30	27.02.2023	26.08.2024
			660/ED/Phase-3/ 2022-23/X	19	25.03.2023	24.09.2024
			715/ED/Phase-3/ 2022-23/XI	27	05.04.2023	04.10.2024
			765/ED/Phase-3/ 2022-23/XII	17	17.04.2023	16.10.2024
			795/ED/Phase-3/ 2022-23/XIII	24	28.04.2023	27.10.2024
			824/ED/Phase-3/ 2022-23/XIV	14	15.05.2023	14.01.2025
			962/ED/Phase-3/ 2023-24/XVI	05	25.07.2023	24.12.2024
			कुल योग	321		
	फेज–3	मै0 बाबा–जी0ए0 इन्फ्रा0 (जे0वी0)	534/ED/Phase-3/ 2022-23/X	71	10.03.2023	09.09.2024
			785/ED/Phase-3/ 2022-23/XIV	28	25.04.2023	24.10.2024
			825/ED/Phase-3/ 2022-23/XVII	85	15.05.2023	14.01.2025
			922/ED/Phase-3/ 2023-24/XVIII	32	07.08.2023	06.02.2025
			971/ED/Phase-3/ 2023-24/XX	21	07.08.2023	06.02.2025
			972/ED/Phase-3/ 2023-24/XXI	07	07.08.2023	06.02.2025
			कुल योग	244		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मै0 गायत्री रैमकी (जे0वी0) द्वारा फेज–2 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो में 02 कवर अनुबन्धों यथा280/ED/2021-22की समयसीमा समाप्त हो चुकी है तथा 300/ED/2021-22की समयसीमा माह अक्टूबर में समाप्त हो जायेगी। फर्म द्वारा 01 वर्ष की अवधि का समय पूर्ण होने के उपरांत भी शतप्रतिशत योजनाओं के कार्य पूर्ण नही हो पाये हैजोकि अत्यन्त खेदजनक एवं कार्यो के प्रति लापरवाही का द्योतक है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ करने की तिथि व कार्य पूर्ण करने की तिथि के अनुसार कार्य योजना बनाकर समयानुसार कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें यदि समयसीमा के अन्तर्गतकार्य पूर्ण नही किये जाते है तो फर्म के विरूद्ध पेनल्टी का प्राविधान किया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 वुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी।)

फेज–2 एवंफेज–3 के अन्तर्गत मै0एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी) एवं मै0 बाबा–जी0ए0 इन्फ्रा0 (जे0वी0) द्वारा उपरोक्त तालिका में कवर अनुबन्धों की समयसीमा के अनुरूप कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाये। समस्त योजनाओं में बोरिंग का कार्य माह सितम्बर तक पूर्ण कर लिये जायें, समस्त योजनाओं में अवर जलाशय का कार्य माह अक्टूबर तक प्रारम्भ कर लिये जायें तथा जिन योजनाओं में अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है उनमें माह नवम्बर तक कार्य पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति की जायें। पाईप लाईन एवं गृह संयोजन का कार्य माह दिसम्बर तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 वुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी।)

ग्राम पंचायत बालोली ब्लॉक पुवारका में पाईप लाईन बिछाने हेतु सडक ग़लत तरीके से तोडी गयी है। जिसको ठीक कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 वुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी।)

ग्राम पंचायत दौलतपुर नल्हेडा संयुक्त योजना हैं जिस पर ग्राम प्रधान द्वारा कार्यो को करने में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है जिसका निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

(खण्ड विकास अधिकारी, नकुड/ ग्राम पंचायत सचिव)

नैनखेडी, कौलाखेडी एवं नवादा में राजनैतिक हस्तक्षेप होने के कारण कार्य बाधित है जिसका निस्तारण शीघ्र कराते हुये निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जायें।

(जिला पंचायत राज अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी)

ग्राम पंचायत बुढेडा ब्लाक सरसावा एवं ग्राम पंचायत बुल्लेवाल ब्लॉक नकुड में पेयजल आपूर्ति पूर्व से ही संचालित है एवं उक्त ग्रामों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लिया गया है। जिसमें योजना निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हैं परन्तु ग्राम प्रधानों द्वारा नई योजना का निर्माण कार्य प्रराम्भ करने हेतु मना कर दिया गया हैं जिस कारण योजना के निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पाये है।

(जिला पंचायत राज अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी)

समस्त फर्मो को यह निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ करने की तिथि व कार्य पूर्ण करने की तिथि के अनुसार कार्य योजना बनाकर समयानुसार कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें, अथवा कार्य समय से न करने की स्थिति में अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत आपको एल0डी0 लगा दी जायेगी। अधिशासी अभियन्ता को यह भी निर्देशित किया गया कि फर्मो द्वारा प्रेषित बीजकों से एल0डी0 की धनराशि की कटौती की जायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 वुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी।)

समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी फर्मो के स्टोर व गोडाउन का निरीक्षण कर पाईप, सीमेन्ट व सरियों की गुणवत्ता पूर्वक जांच करें, अथवा फर्मो द्वारा स्थापित की गयी लैब का सत्यापन करें।

(समस्त उपजिलाधिकारी, सहारनपुर)

फर्मो द्वारा किये जा रहे सडक पुर्नस्थापना के कार्यो को मानकानुसार कराते हुये समयावधि में पूर्ण कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मै0 वुडहिल इन्फ्रा0 लि0, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी।)

समस्त फर्मो द्वारा कराये जा रहे अवर जलाशय के कार्य मानकानुसार व गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम / मै० वुडहिल इन्फ्रा० लि०, मै० एन०के०जी० प्राइमस जे०वी०, मै० बाबा जी०ए० इन्फ्रा० जे०वी।)

समस्त सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को यह निर्देशित किया गया कि निरीक्षण के दौरान डायरी बनाते हुये जी०पी०एस० फोटो लगाये अथवा रोस्टर बनाते हुये समस्त योजनाओं का निरीक्षण करे।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, जल निगम)

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह निर्देशित किया गया कि टी०पी०आई० अपनी रिपोर्ट में कमियों को उल्लिखित नहीकर रहें है व ससमय अपनी रिपोर्ट उपलब्ध नही करा रहे है।

(टीम लीडर, टी०पी०आई०, सहारनपुर)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि एक निरीक्षण चेकलिस्ट बनाते हुये समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराये जिससे योजनावार निरीक्षण के दौरान योजनाओं का सही सत्यापन किया जा सकें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अग्रिम होने वाली "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठकमें समस्त आई०एस०ए० को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं समस्त आई०एस०ए०)

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

क्र०सं०	सदस्य	हस्ताक्षर
1	मुख्य विकास अधिकारी	
2	जिला विकास अधिकारी	
3	प्रभागीय सामाजिकी एवं वानिकी प्रभाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	
5	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	
6	अधिशासी अभियन्ता, अपर पूर्वी यमुना खण्ड, सिचांई विभाग, सहारनपुर	
7	जिला कृषि अधिकारी	
8	जिला सूचना एंव जन सम्पर्क अधिकारी	
9	अधिशासी अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर, सहारनपुर	
10	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर	

अधिशासी अभियन्ता / सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
सहारनपुर।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3–संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

4–मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।

5–मुख्य अभियन्ता (मे0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) मेरठ।

6–मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।

7–अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सहारनपुर।

8–जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर।

9–जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।

10–प्रभागीय सामाजिकी एवं वानिकी प्रमाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।

11–अधिशासी अभियन्ता, अपर पूर्वी यमुना खण्ड, सिचांई विभाग, सहारनपुर।

12–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

13–जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर।

14–जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर।

15–अधिशासी अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर, सहारनपुर।

16– सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर।

17–समस्त उपजिलाधिकारी।

18–समस्त खण्ड अधिकारी।

19–टी0पी0आई0 / डी0पी0एम0यू0 सहारनपुर।

20–मै0 वुडहिल इन्फ्रा0 लि0 / मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0 / मै0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा0 जे0वी।

अधिशासी अभियन्ता / सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
सहारनपुर।